साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 01-07 अप्रैल 2024 वर्ष-9, अंक-50

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

मध्यप्रदेश में खेती अब बन रही लाभ का धंधाः प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्र का खेती-किसानी में नवाचार

मऊगंज में पहली बार लहलहा रही काले गेहूं की फसल

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर किसान रबी और खरीफ फसलों की बड़े स्तर पर खेती करते हैं, लेकिन मप्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में किसान सबसे अधिक गेहूं की खेती करते हैं। इससे अच्छी कमाई होती है। इन राज्यों में किसान गेहूं की कई किस्मों को उगा रहे हैं, जिसकी पैदावार भी काफी अच्छी है, लेकिन **'जागत गांव हमार'** अपने इस अंक में गेहूं की एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहा है, जिसकी खेती करने पर किसानों की आय बढ़ जाएगी। खास बात यह है कि इस किस्म की कीमत सामान्य गेहूं के मुकाबले काफी अधिक होती है। पैसे वाले लोग ही सिर्फ इस किस्म के गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल, हम बात कर रहे हैं काले गेहूं की खेती के बारे में। काले गेहूं की कीमत सामान्य गेहूं से ज्यादा होती है। मप्र के मऊगंज जिले के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्र ने अपने खेतों में पहली बार काले गेहूं की बोवनी की है। संभवत: मऊगंज जिले के इतिहास में पहली बार काले गेहूं की फसल लहलहा रही है। जो स्थानीय किसानों के आकर्षण का केंद्र बन गई है।

गेहूं उत्पादक राज्य

- **उत्तर प्रदेशः** यह भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है।
- **पंजाबः** यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है।
- **हरियाणाः** यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है।
- **मध्य प्रदेशः** यह भारत का चौथा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है।
- **राजस्थानः** यह भारत का पांचवां सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है।

मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत मऊबगदरा में काले गेहूं की फसल। किसान सोलर पंप से पूरी सिंचाई करते हैं।

पोषक तत्वों का भंडार

किसान अनिल कुमार मिश्र का कहना है कि काले गेहूं में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सामान्य गेहूं के मुकाबले 60 फीसदी अधिक लौह तत्व पाया जाता है। इसका सेवन करने से शरीर को काफी पोषण मिलता है। खास बात यह है कि इसमें एंथोसायनिन नामक रंगद्रव्य मौजूद होता है, जिसकी वजह से यह देखने में काला लगता है। इस किस्म में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।

एक एकड़ में 50 किलो बीज

अनिल कुमार के अनुसार अभी भारत के कई राज्यों में किसानों ने काले गेहूं की खेती शुरू कर दी है। नवंबर का महीना काले गेहूं की बोवनी के लिए बेहतर माना गाया है। यदि किसान काले गेहूं की बोवनी पंक्तियों में करते हैं प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। इस साल हमने कम रकबे में बोवनी की है, आगे से सभी खेतों में काले गेहूं की खेती करूंगा। गहाई के बाद इसके उत्पादन का सही आकलन हो पाएगा। हमने इसमें किसी प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है।

हमारे यहां काले गेहूं की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। जल्द ही कटाई लगाई जाएगी। हमें उम्मीद है कि अच्छी उपज मिलेगी। बाजार में इसकी कीमत 8000 रुपए प्रति क्विंटल है। हम इसका बीज कनाडा से मंगाए थे।

अनिल कुमार मिश्र,
प्रगतिशील किसान, मऊगंज

4 से 5 बार सिंचाई

काले गेहूं की चार से पांच बार सिंचाई करनी पड़ती है। पहली सिंचाई बोवनी के 18 दिन बाद करें। फिर कलियां फूटते समय, बालियां निकलने से पहले, बालियों में दूध आते समय और दानों के पकने के समय सिंचाई करना चाहिए। विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है कि जब गेहूं में फूल आ रहा हो तब सिंचाई नहीं करनी चाहिए।

पीएम सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ाः सरकार का 4352 करोड़ हजम

- सूची का ऑडिट करने का काम अब अनिवार्य
- राज्यों को अपात्रों की पहचान करने का जिम्मा

अपात्र किसानों से सिर्फ 335 करोड़ की वसूली

भोपाल। जागत गांव हमार

अपात्र किसानों द्वारा ली गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम की वसूली सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। घोषणाएं तो बहुत हुई हैं, किसानों को डराया भी गया है, लेकिन रिकवरी नाम मात्र की ही हुई है। अपात्र किसान सरकार को पैसा वापस करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे किसानों का कहना है कि सरकार ने पहले सत्यापन करके क्यों नहीं उन्हें योजना से बाहर निकाला। दूसरी ओर, अधिकारी भी रिकवरी पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। बस उनका जोर यह है कि अब किसी भी सूरत में अपात्रों को पैसा न मिले। जिसके लिए सरकार ने साफ निर्देश दे रखे हैं। साल 2022 की शुरुआत में पता चला था कि देश के 54 लाख अपात्रों ने 4352 करोड़ की रकम निकाली थी, लेकिन अब तक सिर्फ 335 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार 22 मार्च 2022 तक अपात्र किसानों से सरकार मात्र 297 करोड़ ही वसूल पाई थी। जिसमें से 180 करोड़ से अधिक की रिकवरी अकेले तमिलनाडु सरकार ने की थी, क्योंकि वहां पर इसका बड़ा स्कैम हुआ था। तब से अब तक सिर्फ 38 करोड़ की ही और वसूली हो पाई है।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा अपात्र

- सबसे ज्यादा 13,38,563 अपात्रों ने असम में पैसा लिया।
- तमिलनाडु में 7,61,465 अपात्र किसानों ने पैसा निकाला।
- पंजाब में 6,22,362 अपात्र किसान चिन्हित किए गए थे।
- महाराष्ट्र में 4,88,593 किसानों ने अवैध रूप से पैसा लिया।
- उत्तर प्रदेश में 3,32,786 किसानों ने अपात्र रूप से पैसा लिया।

लैंड रिकॉर्ड का सत्यापन शुरू

सरकार सिर्फ अपात्र किसानों से अपील कर रही है कि वो अवैध रूप से लिया गया पैसा जमा करवा दें। अब चुनावी सीजन में भी रिकवरी बढ़ने की संभावना नहीं है। क्योंकि अगर अब रिकवरी पर जोर दिया गया तो नाराजगी बढ़ेगी। अपात्र किसानों को बाहर निकालने के लिए सरकार ने लैंड रिकॉर्ड का सत्यापन शुरू कर दिया है। पांच फीसदी किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है।

आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी जरूरी हो गई है। ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थियों की सूची का ऑडिट करने और उसे पंचायतों में डिस्प्ले करने के भी आदेश दिए गए हैं। ताकि लोगों को अपात्र किसानों का पता चले। इसकी वजह से जहां पहले 11.5 करोड़ किसानों को योजना का लाभ मिल रहा था। वहीं पर अब लाभार्थी सिर्फ 8.5 करोड़ किसान ही रह गए हैं।

मप्र भी पीछे नहीं

मध्यप्रदेश में 81 लाख 18 हजार किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। इसमें से दो लाख से ज्यादा किसानों को अपात्र पाया गया है। इन किसानों के खातों में पहले प्रशासन ने सम्मान निधि जमा कराई, अब इनसे 195 करोड़ 9 लाख रुपए की वसूली होनी है। जिसमें कुछ जिलों में राशि की वसूली कर ली गई है, लेकिन कुछ जिलों में वसूली करना चुनौती बना गया है। हालांकि चुनाव के बाद वसूली गति पकड़ेगी।

कृषि विभाग ने 3000 लाड़लियों के हाथ से छीना तुलाई का कांटा

भोपाल। कृषि विभाग के एक आदेश ने मध्यप्रदेश की तीन हजार लाड़ली बहनों के हाथ से तुलाई केंद्र का कांटा छीन लिया है। यह वे लाड़ली बहनें हैं, जिन्हें शिवराज सरकार ने आय बढ़ाने के मकसद से करीब 5 साल पहले फसल खरीदी के काम से जोड़ा था। प्रत्येक जिले के केंद्रों में 10 फीसदी हिस्सेदारी दी थी, लेकिन इस साल कृषि विभाग ने उनसे यह हिस्सेदारी पूरी तरह वापस लेकर इन्हें बेरोजगार कर दिया है। कृषि विभाग ने खरीदी के लिए इस साल जो नीति तैयार की है, उसमें स्वसहायता समूहों को शामिल ही नहीं किया। यह नीति 15 मार्च को जारी की गई।

फूड डिपार्टमेंट का काम गेहूं खरीदी

एसीएस कृषि अशोक वर्णवाल का कहना है कि गेंहू खरीदी का काम फूड डिपार्टमेंट देखता है। बाकी फसलों की खरीदी में महिलाओं को कभी शामिल नहीं किया। वहीं पुरानी नीति में 2022-23 की खरीदी के लिए कृषि विभाग ने जो नीति बनाई थी, उसमें एनआरएलएम में पंजीकृत महिला स्व सहायता समूहों को शामिल किया गया था। इसमें स्पष्ट लिखा था कि उपार्जन केंद्रों में से 10 फीसदी में खरीदी महिला स्वसहायता समूहों की मदद से की जाएगी।

एक फीसदी था कमीशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े 300 स्वसहायता समूहों की महिलाओं को 6 साल पहले गेहूं तुलाई का काम दिया था। तीन साल पहले इन्हें दूसरी फसलों की तुलाई के अधिकार भी दे दिए गए। एक समूह में 10 से 12 महिलाएं जुड़ी हैं। इन्हें एक क्विंटल खरीदी पर एक फीसदी कमीशन मिलता था। एक महिला के हिस्से में लगभग 70 हजार रुपए तक आते थे।

फूड विभाग ने मांगे कागज

फूड विभाग ने महिला स्वसहायता समूहों के ऊपर दोहरी मार की है। बीती साल की तरह इस साल भी महिला स्वसहायता समूहों को गेंहू खरीदी में शामिल तो किया है,लेकिन उनके लिए शर्त लगा दी कि 10 लाख का पोस्टडेटेड चेक दीजिए या फिर जमीन जायदाद के कागजात लेकर आइए। खाते में दो लाख होने ही चाहिए।

इनका कहना है

खरीदी केंद्र कितने देने हैं, यह कलेक्टर निधारित करेंगे। रही बात दस लाख रुपए की तो बीते साल कुछ जगहों पर महिला समूहों द्वारा की गई खरीदी में गड़बड़ी आई थी। रुपयों का भुगतान सरकार को करना पड़ा था।

एचएस परमार, संयुक्त संचालक

मंडी प्रशासन ने किसानों को रुपए लौटने का भरोसा दिलाया, अधिकारी बोले-सिर्फ 14 किसानों ने दर्ज करवाई शिकायत

मंदसौर में 32 लहसुन किसानों का 65 लाख लेकर व्यापारी हुआ फरार, गोदाम सील कर उपज को नीलाम किया जाएगा

मंदसौर। जागत गांव हमार

मंदसौर की कृषि उपज मंडी के लहसुन व्यापारी द्वारा 14 से अधिक किसानों से 30 लाख से अधिक रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला उजागर हुआ है। किसानों की संख्या 32 है। इसकी राशि 65 लाख रुपए से अधिक है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक 14 किसानों ने शिकायत दर्ज करवाई है। कुछ और किसान भी सामने आए हैं, जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी में लहसुन का कारोबार करने वाले खुशाली ट्रेडर्स के संचालक अंबालाल पंवार ने मंडी में किसानों के माल की खरीदी की और नियम के मुताबिक आरटीजीएस के जरिए किसानों के खातों में भुगतान करने का हवाला देकर फरार हो गया। कई दिनों बाद भी जब किसानों के बैंक अकाउंट में रकम जमा नहीं हुई तो किसानों ने मंडी प्रशासन को इसकी शिकायत की। राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, एसडीएम शिवलाल शाक्य, मंडी सचिव पर्वत सिंह सिसोदिया और पीड़ित किसानों के बीच हुई बातचीत में किसानों को भरोसा दिलाया गया कि उन्हें व्यापारी से भुगतान एक अप्रैल तक करवा दिया जाएगा।

फरार व्यापारी का धमकी भरा सुसाइड नोट

किसानों के साथ धोखाधड़ी के बाद फर्म संचालक अंबालाल पंवार गायब हो गया, उसका मोबाइल बंद आ रहा है। उसने कार्यालय में नोट बुक में किसानों को धमकाने के लिए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने दो किसानों का जिक्र करते हुए सुसाइड करने की बात लिखी है। व्यापारी गुजरात में अपने बेटे के पास है।

मंडी प्रशासन से लगाई गुहार

किसान राहुल पाटीदार ने बताया कि उन्होंने 13 मार्च को खुशाली ट्रेडिंग कंपनी को अपना माल बेचा था। रकम दो लाख 22 हजार 530 थी, जो आज तक जमा नहीं हुई। इसी तरह से किसान कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने भी सात मार्च को अपनी लहसुन उपज की दो ट्रालियां बेची थी, जिनका भुगतान दो लाख 10 हजार 500 और दो लाख तीन हजार 420 था। लेकिन यह रकम भी उनके खातों में जमा नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत मंडी प्रशासन से की। इस खुलासे के बाद यहां रतलाम जिले के आलोट तहसील के गांव पाटन के किसान भी मंडी पहुंचे, जिनके करीब 22 लाख का भुगतान बकाया था।

- किसानों को स्वयं भी सतर्क रहना चाहिए। शिकायत पांच दिनों के भीतर करना थी। फिर भी हम किसानों की रकम दिलवाने के प्रयास कर रहे हैं। हमने मंडी व्यापारी का गो-डाउन सील किया है। उसका फोन बंद है। इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, हम कर रहे हैं।

शिवलाल शाक्य, एसडीएम, मंदसौर

- मंडी व्यापारी के गो-डाउन में पड़ी लहसुन को नीलाम कर इससे जो पैसे मिलेंगे, उनसे किसानों का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद जो किसान बचेंगे, उन्हें मंडी नियमों के मुताबिक भुगतान करेंगे। हमने किसानों को कहा है कि उन्हें एक अप्रैल से पहले भुगतान कर दिया जाएगा।

पर्वत सिंह सिसोदिया,मंडी सचिव मंदसौर

2596 पीएसीएस पर बाजार से आधे रेट में दवाइयां मिलनी शुरू

जन औषधि केंद्र में तब्दील होंगी पांच हजार कृषि ऋण समितियां

देश में मार्च 2026 तक 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने के लक्ष्य

भोपाल। जागत गांव हमार

देशभर के ग्रामीण इलाकों में स्थापित 2596 पीएसीएस यानी प्राइमरी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर बाजार भाव से 50-90 फीसदी तक कम रेट में दवाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। जबकि, 5 हजार से अधिक पैक्स ने जन औषधि केंद्र में तब्दील होने के लिए आवेदन किए हैं। केंद्र सरकार जन औषधि योजना के जरिए गरीब वर्ग को सस्ती कीमत में दवाएं उपलब्ध करा रही है। ग्रामीण इलाकों में सस्ती दवाइयां पहुंचाने के लिए पैक्स को जन औषधि केंद्र में बदला जा रहा है। वहीं, देश में मार्च 2026 तक 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में 1 लाख से अधिक पैक्स स्थापित हैं। जबकि, साल 2029 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 2 लाख के पार पहुंचाने का लक्ष्य है। इन पैक्स को सहकारिता मंत्रालय मल्टीपरपज बना रहा है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। इसी क्रम में पैक्स को जन औषधि केंद्र के रूप में कनवर्ट किया जा रहा है। जन औषधि केंद्रों पर बाजार भाव से 50-90 फीसदी तक सस्ती दवाएं और मेडिकल उपकरण मिलते हैं।

पैक्स पर दवाइयां मिलनी शुरू - सहकारिता स्वास्थ्य का संगम के तहत पैक्स के जरिए अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है। जन औषधि केंद्र खोलने से पैक्स को अपने आर्थिक कार्यों में विस्तार के नए अवसर मिल रहे हैं और लोगों को सस्ती एवं अच्छी दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देशभर में मौजूद 2596 पैक्स का जन औषधि केंद्र के रूप में संचालन शुरू कर दिया गया है।

पैक्स जन औषधि केंद्र बनेंगे

सहकारिता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पैक्स को जन औषधि केंद्र में बदलने लिए 4692 आवेदन पहुंचे हैं। इनमें से 532 को ड्रग लाइसेंस जारी किया गया है। वहीं, 354 पैक्स को स्टोर कोड जारी हो चुके हैं, जो जल्द ही पूर्ण रूप से जन औषधि केंद्र के रूप में संचालन शुरू कर देंगे। 31 जनवरी 2024 तक देश भर में लगभग 10,624 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र है। जबकि, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देशभर में 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।

33 हजार पैक्स पर सेवाएं शुरू

पैक्स को जन औषधि केंद्र में बदलने के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी बदला जा रहा है। हाल ही में देश की 33 हजार पैक्स को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में बदल दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 51,898 से ज्यादा पैक्स को सीएससी पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है, जिनमें से 33,626 से अधिक पैक्स ने कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की सेवाएं देना शुरु कर दिया है। सरकार पैक्स को मल्टी परपज बना रही है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके।

नए प्रावधान | खराब बताकर केंद्र से नहीं लौटाया जाएगा गेहूं

» कचरा साफ करने के लिए केंद्र पर मौजूद रहेंगे उपकरण

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के जिलों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस बार उपार्जन को लेकर नए प्रावधान किए है। जिसके तहत नॉन एफएक्यू (कम गुणवत्ता) गेहूं को उपार्जन केंद्र से वापस नहीं लौटाया जाएगा। बल्कि किसान गेहूं से कचरा साफ करवाकर बेच सकेगा। इसके लिए केंद्र पर गेहूं में छन्ना लगाने के उपकरण मौजूद रहेंगे। इसके एवज में किसान को 20 रुपए प्रति क्विंटल तक का भुगतान करना पड़ेगा। किसान खुद भी कचरा साफ कर सकते हैं। यह पहली बार है कि किसानों को उपार्जन केंद्रों पर गेहूं से कचरा साफ करने की सुविधा दी जा रही है। अभी तक नॉन एफएक्यू/ कचरा अधिक होने की स्थिति में गेहूं को वापस लौटा दिया जाता था। अब किसानों को समझाया गया है कि वे घर से ही कचरा साफ करके लाएं या फिर उपार्जन केंद्र पर तुलाई से पहले कचरा साफ करें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उप सचिव कैलाश बुंदेला ने उपार्जन को लेकर को कलेक्टरों को जो निर्देश दिए हैं। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उपार्जन केंद्रों पर गेहूं में छन्ना लगाने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। यदि किसान उपार्जन केंद्र पर मजदूरों से गेहूं साफ करवाते हैं तो भुगतान करना होगा। इसकी रसीद भी दी जाएगी। इस बार किसानों को गेहूं की सफाई, तुलाई और भंडारण के दौरान मौजूद रहने कहा है। किसान तब तक वहां से न जाए, जब तक की उनका गेहूं तुलने से लेकर पैक लगकर टैक नहीं लग जाता है।

निजी गोदामों का कराया जा रहा भंडारण

मप्र वेयर हाउस लॉजिस्टिस कारपोरेशन ने उपार्जित गेहूं के भंडारण से पहले संबंधित गोदामों के भौतिक सत्यापन करने के आदेश दे दिए हैं। जिसमें यह देखा जाएगा कि गोदाम में खाली है या उसमें अनाज रखा है। जो अनाज रखा है उसमें कीटों का प्रकोप है या नहीं। गोदाम में कीटनाशकों का छिंडक़ाव कब किया था। नए उपार्जन के भंडारण से कीटों का प्रकोप तो नहीं रहेगा। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के बाद ही गोदामों में नए उपार्जन का भंडारण होगा।

-अधिकांश क्षेत्रों में खतरे से बाहर निकल चुकी उपज

पारा बढ़ने से गेहूं की खेती नहीं होगी प्रभावित

2022 में हीटवेव की वजह से भारत में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा था

गेहूं की खेती को नुकसान पहुंचने का जो समय था वो अब निकल चुका

भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले एक सप्ताह में ही तापमान में काफी वृद्धि हो गई है, लेकिन क्या तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल पर कोई असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल पर फिलहाल असर पड़ने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान में वर्तमान वृद्धि कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्य इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, क्योंकि कटाई तेजी से चल रही है और तापमान से गेहूं की खेती को नुकसान पहुंचने का जो समय था वो अब निकल चुका है। हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि 2022 में हीटवेव की वजह से भारत में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा था। सरकार इस समय गेहूं की फसल पर कड़ी निगरानी रख रही है और रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच पिछले एक सप्ताह में ही बहुत तेजी से तापमान में इजाफा हुआ है। इस समय जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है वहां पर गेहूं की कटाई हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए गेहूं का उत्पादन 112.02 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है।

इतने तापमान में खतरा - हरियाणा के करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि आईएमडी रिकॉर्ड के अनुसार, गेहूं के लिए अब तक का यह सबसे अनुकूल मौसम है। जब तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं हो जाता, तब तक फसल को कोई खतरा नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि तब तक पूरे देश में गेहूं की कटाई हो जाएगी। हरियाणा में किसान अप्रैल के पहले सप्ताह में और पंजाब और यूपी में अगले महीने के दूसरे सप्ताह में कटाई शुरू कर सकते हैं।

हरियाणा, यूपी में अभी तापमान

पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मार्च में अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच था। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी राजस्थान। पंजाब और शेष भाग वाले इंडो-गैंगेटिक प्लेन में अधिकतम तापमान 32-35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। उत्तरी हरियाणा, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है।

आईएमडी ने किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने एक बुलेटिन में कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में अहम बदलाव और उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन, अगले दो दिनों में मध्य भारत में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। मार्च में विदर्भ के अलग-अलग इलाकों में लू चलने का अनुमान है। मार्च में गुजरात, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में गर्म रात रहने की संभावना है।

पंजाब से खरीदा जाएगा सबसे ज्यादा गेहूं

उधर, खाद्य मंत्रालय को अनुमान है कि इस साल 37.29 मिलियन टन गेहूं की खरीद हो सकती है। केंद्र को उम्मीद है कि 2024-25 में पंजाब से 13 मिलियन टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसी प्रकार, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लिए, प्रत्येक का लक्ष्य 8 मिलियन टन खरीदने का है। राजस्थान के लिए लक्ष्य 2 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। हालांकि, पिछले साल एक भी राज्य में गेहूं खरीद का टारगेट पूरा नहीं हुआ था।

-पशुपालकों को विशेषज्ञों ने दी जानकारी

बढ़ते तापमान में पशुओं की करें देखभाल

भोपाल। जागत गांव हमार

इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी की तपिश बढ़ गई है और तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बढ़ते गर्म मौसम के कारण दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन के साथ-साथ उत्पादन प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने की आशंका है। इसलिए पशुपालकों को पशुधन का अधिक ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के दिनों में आमतौर पर दूध का उत्पादन कम हो जाता है। पशुपालन विभाग सलाह दे रहा है कि जानवरों को तेज धूप में चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, गर्मी में और गर्म पानी से उन्हें बचाना चाहिए। अगर पशुओं की अच्छी देखरेख होगी तो पशु दूध ज्यादा कम नहीं करेंगे। कुछ दिनों से गर्मी बढ़ गई है, जवान से लेकर बूढ़े तक पसीने से तरबतर हो रहे हैं। मनुष्यों की तरह पशुधन का स्वास्थ्य भी बढ़ते तापमान से प्रभावित हो रहा है। इसलिए, लोग अपने पशुओं की देखरेख में विशेष सावधानी रखें। 2019 की जनगणना के अनुसार, धाराशिव जिले के भूम तालुक में गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ सहित 1 लाख 24 हजार 80 पशुधन हैं। दुधारू पशुओं की संख्या 74 हजार 427 है। इस पशुधन को गर्मियों में विशेष देखभाल की जरूरत होती है।

पशुपालकों ने दी सलाह - पशुपालन विभाग सलाह दे रहा है कि पशुपालकों को अपने पशुओं को चरने के लिए तेज धूप में नहीं छोड़ना चाहिए। खूंटियों में पशुओं को कस कर बांधने से बचें। मृत पशुओं का निपटान चरागाह क्षेत्रों में न करें साथ ही पशुओं को ठंडी जगह पर रखें। इससे पशु की सेहत ठीक रहेगी और वो दूध देना कम नहीं करेंगे। पशुधन विकास अधिकारी डॉ. प्रदीप बालवे का कहना है कि इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग अधिक प्रचलित होने के कारण पशुधन की संख्या अधिक है।

गर्मी में कम हो जाती है पशुओं की भूख | बालवे के अनुसार इस समय गर्मी के दिन हैं और इस दौरान पशुओं की भूख कम हो जाती है। सूखा चारा खाने, हिलने-डुलने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे पशुओं की सांस जोर-जोर से चलने लगती है। पसीना भी बहुत आता है। दूध उत्पादन कम होने के साथ-साथ प्रजनन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। इसलिए पशुओं की देखभाल धूप वाले मौसम में बहुत अच्छे से करनी होगी।

गर्मियों में ऐसे रखें पशुओं का ख्याल

जानवरों को सुबह और शाम के समय चरने की अनुमति दी जानी चाहिए। मौसमरोधी शेड का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि शेड में हवा आ सके। छत पर सफेद चूना या पेंट लगाना चाहिए। इस पर गीली घास डालनी चाहिए, इससे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में मदद मिलेगी। जिससे गर्मी का असर काफी कम हो जाएगा। दोपहर के समय गौशाला के चारों ओर बारदाना, शेडनेट लगाना चाहिए।

भैंस को ज्यादा लगती है गर्मी

पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि पशुओं को भरपूर मात्रा में ठंडा पानी उपलब्ध कराना चाहिए। कृषि कार्य सुबह या शाम के समय करना चाहिए। आवश्यकतानुसार ही पानी का प्रयोग करना चाहिए। चारा ठंडे वातावरण में खिलाना चाहिए, समय-समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। भैंस की त्वचा का रंग काला होने तथा पसीने की ग्रंथियों की कम संख्या के कारण भैंस को गाय की तुलना में गर्मी अधिक लगती है। इसलिए उनकी अधिक देखभाल की जानी चाहिए।

सावधान! पहली बार गायों में मिला बर्ड फ्लू का वायरस

वैज्ञानिकों का दावा-ये प्रवासी पक्षियों से आया इससे दूध गाढ़ा और उसका रंग फीका हो रहा

भोपाल। जागत गांव हमार

गायों में पहली बार बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। इस बीमारी के कारण गाय का दूध गाढ़ा हो रहा है और इसका रंग फीका पड़ रहा है। अमेरिका की गायों में ये बीमारी प्रवासी पक्षियों से आई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसकी पुष्टि की है।

विभाग ने कहा कि टेक्सास और कैनसस के चार डेयरी फार्मों में गायों में एवियन इन्फ्लूएंजा का टेस्ट पॉजिटिव आया है। न्यू मेक्सिको में भी मामलों की पुष्टि की गई है। हालांकि प्रभावित डेयरी फार्मों की संख्या नहीं बताई है। इलिनोइस यूनिवर्सिटी के पशु चिकित्सक और इन्फ्लूएंजा रिसर्चर जिम लोव ने बताया कि दूषित दूध सिरप जैसा गाढ़ा दिखता है। अगर यह प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच भी गया हो, तो भी पाश्चराइजेशन कंज्यूमर्स को वायरस से बचाएगा। कुछ किसानों ने अपने खेत पर मरे हुए प्रवासी जंगली पक्षियों को देखा है, जिससे पता चला कि ये वायरस इन्हीं से आया है। अब तक इस वायरस से बहुत कम गायों की मौत हुई है, लेकिन संक्रमण के कारण दूध उत्पादन में 40 फीसदी तक गिरावट आई है। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कहना है कि वह वायरस के फैलने की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं कमिश्नर सिड मिलर ने कहा कि लोगों की जान को इससे कोई खतरा नहीं है और दूध की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी।

पराली जलना जलवायु परिवर्तन के लिए समस्या, समाधान के उपाए

» डा. प्रियंका प्रजापति
» डॉ. रुचि सिंह
» डॉ. रश्मि विश्वकर्मा
» डॉ. हरि आर
» डॉ. प्रतीक्षा ठाकुर
» डॉ. सौरभ शर्मा
» डॉ. चेतन मीणा

पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यलाय
जबलपुर, मध्यप्रदेश

कृषि भारत के 58प्रतिशत नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है, कृषि और पशुपालन सकल घरेलू उत्पाद में 20प्रतिशत योगदान करते हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं और भारत को आत्मनिर्भर के रूप में विकसित होने में योगदान देते हैं। भारत के किसान मौसम के अनुरूप प्रति-साल तीन से चार फसल लेते हैं, पिछले कुछ वर्षों से फसलों के अवशेष खेत में जलाने की समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है।

पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में, जिन क्षेत्रों में धान व गेहूँ फसल की कटाई कम्बाइन हार्वेस्टर से की जाती वहां पर फसलों के अवशेष खेत में खड़े रह जाते हैं तथा किसान अगली फसल की शीघ्र बुवाई करने के लिए खेत तैयार करने के उद्देश्य से फसलों के अवशेषों को जला देते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने कम्बाइन हार्वेस्टर के आविष्कार से फसलों को काटने के लिए एक सस्ता तथा आसान विकल्प उपलब्ध कराया, लेकिन अगली फसल की शीघ्र बुवाई के लिये फसलों के अवशेष रूकावट बन जाते हैं। वर्ष में दो से तीन बार फसल अवशेषों को जलाने की इस प्रथा से पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुँच रहा है। गेहूँ की फसल की कटाई के मुकाबले धान की कटाई के बाद फसलों के अवशेष अधिक जलाए जाते हैं जिससे काफी मात्रा में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा फसल अवशेष खेत में जलाने पर रोक लगाई गई है। किसान अपने खेतों के फसल अवशेषों में आग न लगाकर इन्हें खेत में ही मिलाकर मृदा में जीवांश पदार्थ व पोषक तत्वों की पूर्ति काफी मात्रा में पूरा कर सकते हैं।

फसल अवशेष खेत में जलाने के दुष्प्रभाव: पर्यावरण पर प्रभाव: फसल अवशेष जलाने से वातावरण में विषैली गैसें जैसे कार्बन मोनोआक्साइड, कार्बन डाईआक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें बढ़ जाती हैं जिनसे समूचा पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इसका दुष्प्रभाव मानव व पशु पक्षियों के स्वास्थय पर अधिक पड़ता है।

मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव: फसल अवशेषों को जलाने से मृदा का तापमान बढ़ जाता है व मृदा सतह सख्त हो जाती है जिससे मृदा की जलधारण क्षमता तथा मृदा के वायु संचार में कमी आ जाती है। जिसके फलस्वरूप फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव: मृदा की 15 सेंमी. तक की ऊपरी परत में सभी प्रकार के सकिय लाभदायक सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा लाभदायक मित्र कीट इत्यादि भी जलकर नष्ट हो जाते हैं।

मृदा व फसल अवशेषों में उपस्थित पोषक तत्वों की हानि: मिट्टी व फसल अवशेषों में पाये जाने वाले बहुमूल्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है।

मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ पर प्रभाव: मृदा में जीवांश ही एक मात्र ऐसा महत्वपूर्ण अवयव है जिसके द्वारा मृदा में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व फसलों को प्रदान किए जाते हैं।

विभिन्न फसल अवशेषों में पोषक तत्वों की मात्रा

फसल अवशेष	नाइट्रोजन(%)	फास्फोरस(%)	पोटाश(%)
धान की पुआल	0.36	0.08	0.70
गेहूँ का भूसा	0.53	0.10	1.10
गन्ने की पत्तियां	0.35	0.10	0.60
मक्का की कड़वी	0.47	0.57	1.65
बाजरे की कड़वी	0.65	0.75	2.50

जीवांश पदार्थ ही मृदा संरचना को सुधारता है व मृदा के लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। फसल अवशेषों को जलाने से कार्बनिक पदार्थ जलकर नष्ट हो जाता है जिसका विपरीत प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ता है।

आग लगने से दुर्घटना: फसल अवशेषों को खेत में जलाने से नजदीक के किसानों की फसल व खेत-खलिहान में आग लगने की काफी संभावना रहती है जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

पशुओं के चारे की व्यवस्था पर प्रभाव: फसलों के कुछ अवशेष जैसे गेहूँ का भूसा आदि को पशुओं के चारे के लिये उपयोग में लाया जाता है उनमें आग लगाने से पशुओं के चारे की व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना: फसल अवशेषों को जलाने से सड़क पर काफी दूर तक धुआ छा जाने के कारण वाहनों के टकराने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे काफी लोगों की जान चली जाती है।

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: फसल अवशेषों को जलाने से वायु में प्रदूषण व धुएं के कारण अस्थमा के रोगियों को असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ता है तथा आमजनों को भी अस्थमा के रोग होने की सम्भावना रहती है। धुंए में विषैली गैसें होने के कारण मनुष्यों की आंखों में जलन हो जाती है।

फसल उत्पादन पर प्रभाव: फसलों के अवशेष जलाने से वातावरण में धुआं छा जाने के कारण तापक्रम में वृद्धि होने से फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

मित्र कीट व पक्षियों पर प्रभाव: वातावरण में धुआं फैल जाने के कारण मित्र कीट व पछ लुप्त होते जा रहे हैं जो कि खेती के लिये अत्यन्त लाभदायक व पर्यावरण सन्तुलन बन रखने में अत्यन्त सहायक होते हैं।

फसल अवशेषों का कृषि मशीनों द्वारा प्रबन्धन: धान एवं गेहूँ फसल की कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद फसल अवशेषों को आग जला कर नष्ट कर देने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इसके समाधान के लिये कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न कृषि मशीनें तैयार की हैं जिनसे फसल अवशेषों को खेत में ही मिला दिया जाता है या खड़े अवशेषों में ही बुवाई की जा सकती है। उनमें से प्रमुख फसल अवशेष प्रबन्धन मशीन निम्नलिखित है-**हैप्पी सीडर मशीन, जीरो टिलेज सीड ड्रिल मशीन, स्ट्रा कटर-कम-स्प्रेडर या शर्व मास्टर, चोपर या मल्चर मशीन, रिवर्सिवल मोल्ड बोर्ड प्लो।**

हैप्पी सीडर मशीन द्वारा गेहूं की बुवाई करने से धान फसल अवशेष प्रबन्धन: हैप्पी सीडर मशीन धान की कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद धान फसल अवशेषों में सीधी बुवाई के लिये विकसित की है। इस मशीन से कम्बाईन द्वारा काटी गई धान फसल अवशेषों के बीच में बिना जुताई व बिना जलाए गेहूँ की बुवाई की जाती है। हैप्पी सीडर से बुवाई करने के बाद यूरिया खाद का प्रयोग पहली व दूसरी सिचाई करने से पहले करना चाहिए। इस प्रकार फसल अवशेष मृदा में शीघ्र विघटित होकर मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि करेंगें।

फसल के अवशेषों को अगर हम इसी तरह जलाते रहेंगे तो हम अपनी उपजाऊ भूमि को जलाकर नष्ट कर देंगे। अत: फसल अवशेषों का प्रबन्धन करना आवश्यक है। इससे हम अपनी मृदा के जीवांश पदार्थ व उर्वरा शक्ति में वृद्धि करके जमीन को खेती योग्य सुरक्षित रख सकेंगे। अत: हम सभी का कर्तव्य है कि फसल अवशेषों को न जलाएं, बल्कि मृदा में जीवांश पदार्थ व पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए फसल अवशेषों को मृदा में मिलाएं।

3 साल में खेतीबाड़ी में वापस लौटे 5.6 करोड़ भारतीय, शुभ या संकट ?

दुनिया के अन्य विकासशील देशों की तरह भारत भी बड़ी संख्या में खेती से जुड़े श्रमिकों को गैर-कृषि क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की इच्छा रखता है। भले ही दशकों से गैर-कृषि क्षेत्रों में स्थानांतरण धीमा रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और गैर लाभकारी स्वयंसेवी संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (आईएचडी) द्वारा तैयार की गई इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 'गैर-कृषि रोजगार' की धीमी गति में बदलाव की प्रवृति उलट गई है। हालांकि गैर-कृषि क्षेत्र में दशकों से कोई बदलाव नहीं देखा गया और यह स्थिर बना हुआ है।

रपोर्ट में कहा गया है, 2019 के बाद महामारी के कारण यह धीमा बदलाव उलट गया और कृषि रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ-साथ कृषि कार्यबल के आकार में भी वृद्धि हुई।

इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से 2000 से 2022 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसओ) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से उत्पन्न रोजगार पर भारत सरकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

साल 2020-2022 के दौरान कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में लगभग 5.6 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। यह अवधि मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ मेल खाती है, जिसके कारण लगभग दो महीने का सख्त लॉकडाउन लगा और उसके बाद 2022 में इसकी अवधि कम हो गई।

साल 2020 में देश में शहरों से गांवों की ओर अनौपचारिक श्रमिकों का पलायन हुआ और इसे 1947 के विभाजन से भी बड़ी त्रासदी बताया गया, जिसने भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया। 2020 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या में 3.08 करोड़ की वृद्धि हुई। अगले वर्ष कृषि क्षेत्र के कार्यबल में 1.21 करोड़ जुड़ गए और 2022 में 1.29 करोड़ लोग और कृषि-श्रमिकों की सूची में शामिल हो गए।

रिपोर्ट में कहा गया है, 2000 से 2019 के बीच वयस्कों की तुलना में युवा अधिक संख्या में कृषि से बाहर चले गए, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते ऐसा बदलाव आया कि युवाओं का गैर कृषि क्षेत्रों के प्रति मोह कम हो गया।

इस तरह 20 साल की प्रवृति उलट गई। आईएलओ-आईएचडी रिपोर्ट में कहा गया है, 2000-19 के दौरान कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र के मुकाबले उच्च उत्पादकता वाले गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार की प्रवृति में बदलाव हुआ। वास्तविकता यह है कि 2000-2019 के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। इसके मुकाबले निर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार में तेज वृद्धि हुई। इन क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले ज्यादातर कृषि श्रमिक थे, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 2019-2022 के दौरान कृषि विकास में तेजी आई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, महामारी की वजह से आई आर्थिक मंदी के कारण और कृषि क्षेत्र से बाहर काम के अवसरों की कमी के कारण लोग खेतीबाड़ी की ओर आकर्षित हुए। 2019 से 2022 के दौरान कृषि विकास में तेजी आई।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2019 से पहले रोजगार वृद्धि लगभग स्थिर हो गई थी और कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हुई। यहां तक कि कृषि रोजगार वृद्धि ने कृषि सकल मूल्य वर्धित वृद्धि को भी पीछे छोड़ दिया।

2019-2021 में गांवों और कृषि क्षेत्र में पलायन ने देश में श्रम बाजार की संरचना को पूरी तरह बदल दिया है।

कृषि की ओर वापसी का यह बदलाव अपने आप में अच्छी खबर नहीं हो सकता है। इसे संकट का संकेत भी माना जा सकता है। चूंकि गैर-कृषि क्षेत्र रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए लोगों को गैर-लाभकारी कृषि क्षेत्र में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इसके अलावा कृषि कार्यबल में यह वृद्धि 2020-2022 के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के इस क्षेत्र में वापस आने के कारण हुई। रिपोर्ट में कहा गया है, 2019 के बाद वृद्धिशील रोजगार में लगभग दो तिहाई स्व-रोजगार श्रमिक शामिल थे, जिनमें अवैतनिक (महिला) पारिवारिक कार्यकर्ता प्रमुख हैं। 2000-2019 के दौरान पुरुष भागीदारी दर की तुलना में महिला श्रम भागीदारी दर में गिरावट आई थी, लेकिन 2019-2022 में यह उलट गया।

पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं कृषि में वापस आ गईं। 2022 में, कार्यबल में, कृषि में कार्यरत महिलाओं का अनुपात 62.8 प्रतिशत था, जबकि पुरुषों के मामले में यह 38.1 प्रतिशत था। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वयं के खाते वाले श्रमिकों या अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों या निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे अस्थायी श्रमिकों की वजह से कृषि क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में गरीब प्रवासी अपने मूल घर लौट रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर हैं।

रिपोर्ट तैयार करते वक्त शोधकर्ताओं ने श्रमिकों को मिलने वाले मासिक वेतन की भी जांच की और पाया कि श्रमिकों की कमाई में कोई वृद्धि नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमित और स्व-रोजगार क्षेत्र में आय की वृद्धि दर 2021 तक कम या नकारात्मक रही, लेकिन 2022 के दौरान बढ़ी। महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों की नियमित मजदूरी में 2018 और 2022 के बीच थोड़ी नकारात्मक वृद्धि हुई। हालांकि महिला स्व-रोजगार श्रमिकों की पुरुषों की तुलना में कमाई में काफी अधिक नकारात्मक वृद्धि हुई। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आकस्मिक मजदूरी में थोड़ी बहुत वृद्धि दर अधिक रही।

देश में प्रति टन फसल उत्पादन में 2-3 गुना अधिक पानी का होता है उपयोग: प्रो रमेश चंद

नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद का कहना है कि कई विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले भारत में प्रति टन फसल के उत्पादन में 2-3 गुना अधिक पानी का उपयोग होता है। प्रो. चंद ने कहा कि कृषि क्षेत्र सिंचाई परियोजनाओं में संसाधनों की बर्बादी, फसल के गलत तौर-तरीकों, खेती-बाड़ी की गलत तकनीकें और चावल जैसी ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली एवं बिना मौसम वाली फसलों पर जोर से समस्या विकराल होती जा रही है। समस्या का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सटीक खेती और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। खासतौर पर कम पानी वाली फसलों पर जोर देना होगा।

भौगोलिक स्थितियों के अनुसार खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने की जरूरत: भारत कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में 1 टन फसल पैदा करने के लिए 2-3 गुना अधिक पानी का उपयोग करता है। खेती का रकबा बढ़ा है, लेकिन ज्यादातर रबी फसलों का, जब बारिश न के बराबर होती है। इसे बदलने की जरूरत है और राज्य सरकारों को विशेष रूप से स्थानीय पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह बात नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, धानुका समूह द्वारा विश्व जल दिवस 2024 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मुख्य भाषण देते हुए कही।

अधिक क्षेत्र में कैसे होगी सिंचाई: उतना ही पानी इस्तेमाल कर कम निवेश में सिंचित भूमि में वृद्धि करने पर जोर देते हुए भारत सरकार में कृषि आयुक्त डॉ पी के सिंह ने कहा, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हम जमीन के ऊपर के पानी के बेहतर उपयोग के तरीकों पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक नहर का पानी वर्तमान में 100 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित कर रहा है, तो हम विभिन्न साधनों का उपयोग करके समान मात्रा में पानी का उपयोग करके इसे 150 हेक्टेयर तक कैसे ले जा सकते हैं।

आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. आर सी अग्रवाल ने कृषि क्षेत्र में पानी के सही उपयोग के बारे में किसानों और युवाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. अग्रवाल ने कहा, हम एक पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं जो उन्हें कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग के बारे में जागरूक करेगा और समाधान प्रदान करेगा। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से बचेगा पानी।

टमाटर से हर महीने डेढ़ लाख की हो रही कमाई

नर्मदापुरम के किसान ने 5 महीने में बेची 7 लाख रुपए की उपज

अब प्रतिदिन 30 से 40 कैरेट टमाटर पिपरिया, गाडरवाड़ा की सब्जी मंडी में भेज रहे

नर्मदापुरम

नर्मदापुरम जिले के एक किसान ने पारंपरिक खेती के साथ सब्जियों की खेती से अपनी आय 3 गुना बढ़ा लिया है। किसान 3 एकड़ में टमाटर की खेती से 5 महीने में करीब 7 लाख रुपए कमा चुका है। यानी 1.40 लाख रुपए महीना। साथ ही 15 से 17 लोगों को रोजगार भी दे रहा है। उनका ये आइडिया अब दूसरे किसान भी अपना रहे हैं।

जागत गांव हमार के इस अंक में हम इस बार अपने पाठकों को मिलवा रहे हैं-सोहागपुर ब्लॉक के महुआखेड़ा के किसान रामनरेश पटेल से। 55 साल के रामनरेश पूरी तरह से खेती-किसानी से जुड़े हैं। उनके बेटे भी खेती में उन्हें मदद करते हैं। पटेल के पास करीब 15 एकड़ खेत है। पारंपरिक खेती के साथ ही दो साल से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 8 एकड़ में 80 क्विंटल मिर्च की पैदावार ली थी। जिसे सऊदी अरब के एक व्यापारी को 16 लाख रुपए में बेचा था। किसान को गेहूं की अच्छी पैदावर के लिए साल 2005 में तत्कालीन कृषि मंत्री से सम्मान भी मिल चुका है। उस समय किसान ने एक एकड़ में 29 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया था।

किसान रामनरेश पटेल से ही जानते हैं सब्जी की खेती करने की कहानी

पिछले साल 8 एकड़ में सुनिधि किस्म की लाल और हरी मिर्च लगाई, पहले साल ही मिर्च का बंपर उत्पादन हुआ

पहले मैं भी दूसरे किसानों की तरह 15 एकड़ खेत में धान, गेहूं और चने लगाता था। जिससे एक साल में मुझे 4 से 5 लाख रुपए तक मुनाफा हो जाता था, लेकिन परंपरागत खेती से होने वाले मुनाफे में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे अपनी आय को बढ़ाया जा सके। इसके लिए आधुनिक तकनीक से खेती करने वाले कुछ किसानों की कहानी पढ़नी शुरू की। मुझे ऐसा लगा कि सब्जियों की खेती में मुनाफा ट्रेडिशनल खेती के मुकाबले अधिक है। इसी वजह से मैंने सब्जी की खेती करने की योजना बनाया। पिछले साल 8 एकड़ में सुनिधि किस्म की लाल और हरी मिर्च लगाई। पहले साल ही मिर्च का बंपर उत्पादन हुआ।

इसी दौरान दुबई से सब्जियों का थोक कारोबार करने वाले कुछ एजेंट यहां आए हुए थे। उन लोगों ने 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 80 क्विंटल लाल मिर्च खरीदी। इसमें मुझे करीब 16 लाख रुपए की आय हुई। इसके अलावा 7 लाख रुपए की हरी मिर्च बेची। सालभर में कुल 23 लाख रुपए की मिर्च बेची। इसमें सभी खर्च काटकर करीब 10 से 11 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मिर्च की खेती में लेबर खर्च ज्यादा हो रहे थे और रेट भी सही नहीं मिल रहे थे। इसके बाद फिर मैंने टमाटर की खेती करने के बारे में सोचा।

5 महीने पहले 3 एकड़ में हिमसोना किस्म के हाइब्रिड टमाटर के पौधे लगाए। दो महीने बाद ही टमाटर के उत्पादन शुरू हो गए। अब प्रतिदिन 30 से 40 कैरेट टमाटर पिपरिया, गाडरवाड़ा की सब्जी मंडी में भेज रहा हूं। शुरू में एक कैरेट के 400 रुपए मिले। फिर तीन सौ और अब करीब 200 रुपए मिल रहे हैं। अब तक करीब 7 लाख रुपए के टमाटर बेच चुका हूं। 3 से 4 लाख रुपए के टमाटर और निकलने की संभावना है। अब तक सभी खर्चे काटकर करीब तीन लाख रुपए का मुनाफा हो चुका है। कुल 6 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम होने का अनुमान है।

> हर पौधे तक पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप सिस्टम की लाइन बिछाई है। इस प्रक्रिया से पौधों की सिंचाई करने से पानी बर्बाद नहीं होता है और प्रत्येक पौधे तक पानी पहुंच जाता है। इस सिस्टम से ही समय-समय पर पौधों में दवा देते हैं।

एक बीघा में 40 ग्राम लगता है बीज

पहले अलग से क्यारियां बनाकर बीज से पौध तैयार की जाती है। एक बीघा खेत के लिए 40 ग्राम बीज लगता है। इनकी पौध को क्यारियों में तैयार किया जाता है। लगभग 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। पौधे तैयार हो जाने के बाद इन्हें एक-एक करके खेत में लगाया जाता है। यह 40 ग्राम बीज अलग-अलग रेट का होता है। 500 रुपए प्रति 10 ग्राम से बीज के दाम शुरू होते हैं, जो 1000 तक भी जाते हैं।

पहले एकीकृत कीट एवं रोग नियंत्रण

गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। पौधशाला की क्यारियां भूमि धरातल से ऊंची रखे एवं फोर्मेल्डिहाइड द्वारा स्टरलाइजेशन करलें। क्यारियों को मार्च अप्रैल माह मे पॉलीथीन शीट से ढके भू-तपन के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। गोबर की खाद मे ट्राइकोडर्मा मिलाकर क्यारी में मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। पौधशाला की मिट्टी को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल से बोवनी के 2-3 सप्ताह बाद छिड़काव करें। पौध की जड़ों को कार्बेन्डाजिम या ट्राइकोडर्मा के घोल मे 10 मिनट तक डुबो कर रखें। 15-20 दिन के अंतराल पर चेपा, सफेद मक्खी एवं थ्रिप्स के लिए 2 छिड़काव इमीडाक्लोप्रिड या एसीफेट के करें।

60 दिन में तैयार होती है फसल

टमाटर की फसल अमूमन किसी भी महीने में लगाई जा सकती है। आजकल 12 महीने इसकी पैदावार हो रही है, लेकिन फसल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई और अगस्त होता है। अगस्त में लगाई गई फसल 60 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद टमाटर को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। तोड़ने के बाद 25-25 किलो की कैरेट में भरकर मंडी में भेजा जाता है। कैरेट के हिसाब से ही मंडी में इसकी बोली लगती है।

फूल के समय पौधों को सहारा देना जरूरी

टमाटर मे फूल आने के समय पौधों में मिट्टी चढ़ाना और सहारा देना आवश्यक होता है। टमाटर की लम्बी बढ़ने वाली किस्मों को विशेष रूप से सहारा देने की आवश्यकता होती है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी के सम्पर्क में नहीं आ पाते हैं। जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती। सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में विभिन्न ऊंचाइयों पर छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है।

ऐतिहासिक सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दिए आदेश

अब खाद-बीज और उपार्जन घोटाले पर लगेगा अंकुश

आरटीआई के दायरे में मप्र की 3500 सहकारी सोसायटी

पीडीएस दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैन ने अपने स्वयं के वेतन की जानकारी आरटीआई में मांगी थी

भोपाल। जागत गांव हमार

सहकारी समितियां में हो रहे घोटालों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा एक ऐतिहासिक आदेश दिया गया है। प्रदेश में अनाज का उपार्जन और राशन दुकानों का संचालन करने वाली सभी सहकारी समितियां को तत्काल प्रभाव से आरटीआई अधिनियम के अधीन लाया गया है। इससे खाद, बीज, उपार्जन के घोटाले पर अंकुश लगेगा। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि खाद्यान्न उपार्जन एवं पीडीएस का संचालन करने वाली सहकारी समितियों के सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन आने से प्रदेश में खाद्यान्न उपार्जन एवं पीडीएस के संचालन में भ्रष्टाचार निरोधी, पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होने के साथ इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

सहकारी समिति इस तरह बचती थी- दरअसल, आयोग के समक्ष कई शिकायतें दर्ज हुई थी जिसमें पीडीएस दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैन ने अपने स्वयं के वेतन की जानकारी आरटीआई में मांगी थी। वहीं एक और शिकायत में आरटीआई आवेदक ने कहा कि राशन की दुकान एवं अनाज उपार्जन करने वाली सहकारी समितियां अक्सर आरटीआई में जानकारी नहीं देते हैं। यह कहते हैं कि आरटीआई अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। सन 2005 जब से आरटीआई एक्ट लागू हुआ है तब से सहकारी समितियां प्रदेश में सुप्रिम कोर्ट के थलापलम जजमेंट का हवाला देते हुए अपने आप को आरटीआई अधिनियम से बाहर बताते हुए जानकारी देने से मना कर देती हैं। यहां तक जिले में उपायुक्त सहकारिता के पास भी आरटीआई आवेदन दायर होने पर वे यह कहते हुए जानकारी उपलब्ध नहीं कराते थे कि उक्त सहकारी समिति ने आरटीआई अधिनियम से अपने आप को बाहर बताते हुए जानकारी देने से मना कर दिया है।

आरटीआई कानून पर एक नजर

आरटीआई अधिनियम के अधीन किसी भी संस्था को लाने के लिए यह जरूरी है कि कानूनी रूप से वह संस्था की भूमिका पब्लिक अथॉरिटी के रूप में स्थापित हो या फिर किसी कानून या नियम के तहत अगर शासन उस संस्था से जानकारी प्राप्त कर सकता है तो वो भी जानकारी आरटीआई के अधीन होगी। संस्था को पब्लिक अथॉरिटी तभी कहा जा सकता है जब कोई संस्था शासन के नियंत्रण में हो या फिर शासन द्वारा अत्यंत रूप से वित्त पोषित हो। मध्य प्रदेश राज्य के नियम में पर्याप्त रूप से वित्तपोषित को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अगर किसी संस्था में शासन का 50000 रुपए का न्यूनतम परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निवेश हो तो वो संस्था लोक प्राधिकारी होगी।

कच्चा चिट्ठा अब सामने होगा

किसानों द्वारा अक्सर खाद्यान्न उपार्जन और खाद, बीज की व्यवस्था में अनियमितताओं की शिकायत की जाती है, पर सहकारी समितियां की व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने की वजह से किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि अब आरटीआई में इन सरकारी समितियां का कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने होगा।

हाईकोर्ट के आदेश को बनाया आधार

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने औरंगाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए सभी सहकारी समितियां को आरटीआई के अधीन बताया है। सिंह ने कहा कि औरंगाबाद हाईकोर्ट ने ऋज्झड्ड में सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानकारी को देने के लिए रजिस्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी को जवाबदेह माना है।

जानकारी के लिए यहां लगाए आरटीआई

सूचना आयुक्त राहुल सिंह नें सभी जिले में पदस्थ उपायुक्त सहकारिता को सरकारी समितियां की जानकारी देने के लिए लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। सिंह ने आरटीआई संयुक्त आयुक्त सहकारिता को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया है। सिंह ने प्रमुख सचिव, मप्र शासन सहकारिता विभाग भोपाल को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

सैलरी में भारी गड़बड़ी

आयोग की जांच में विक्रेताओं के वेतन संबंधी जानकारी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। रीवा जिले में कुल 459 विक्रेता कार्यरत हैं। किसी भी विक्रेता को प्रत्येक माह वेतन नहीं दिया जा रहा है। 5 विक्रेता जिन्हें लगभग 7-10 वर्ष से वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। लगभग 70 से अधिक विक्रेता ऐसे हैं इन्हें 2 साल से अधिक समय से वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है।

किसानों ने फैसले का स्वागत किया

रीवा के आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी जिनकी अपील पर यह कार्रवाई हुई है ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब तक सहकारी समितियां किसानों को उनके केसीसी कर्ज, ब्याज अनुदान, उपार्जन राशन एवं अन्य खाद बीज आदि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराती थी। स्वयं आरटीआई कानून के दायरे के बाहर होना बताया करती थी। इस आदेश से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में सहकारी समितियां को आरटीआई के दायरे में लाने में काफी हद तक मदद मिलेगी।

वेतन की जानकारी अब सामने

इसी आदेश में राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने राशन की दुकानों पर कार्य करने वाले सेल्समैन के वेतन संबंधी गड़बड़ी उजागर होने पर प्रदेश के सभी सेल्समैन की वेतन संबंधी जानकारी जिले के पोर्टल पर स्वत:प्रदर्शित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग ने प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भोपाल को आदेशित किया कि मध्यप्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को आयोग के उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करायें और 3 माह के भीतर जिलों में राशन की दुकानों में कार्यरत सेल्समैनों के वेतन की जानकारी को वेबसाइट, पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

मामला ग्रापं बर्धाखुर्द में पीएम जनमन आवास योजना में एक फर्जीवाड़े का

सरपंच और सचिव की भाभी समेत 17 अपात्रों को दे दिया पीएम आवास

श्योपुर। जागत गांव हमार

आदिवासी विकासखंड कराहल की ग्राम पंचायत बर्धाखुर्द में पीएम जन मन आवास योजना का लाभ देने में बडी गडबडी किए जाने की बात सामने आई है। जनपद सीईओ द्वारा गठित जांच समिति द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई कि जिन लोगो को पीएम जन मन आवास योजना का लाभ दिया गया है,उनमें 17 ऐसे लोग मिले है, जो पूरी तरह से अपात्र है। इनमें 16 हितग्राही तो ऐसे है,जिन्हें पहले ही पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है। इनमें ग्राम पंचायत बर्धाखुर्द की महिला सरपंच शामिल है। जबकि एक सामान्य वर्ग की महिला भी पीएम जन मन आवास योजना का लाभ दिया गया है, उक्त महिला प्रभारी पंचायत सचिव की भाभी लगती है।

यहां बता दें कि जनपद पंचायत कराहल की ग्राम पंचायत बर्धाखुर्द में पीएम जन मन आवास योजना का लाभ दिए जाने में फर्जीवाडा किया गया है। फर्जीवाडा ऐसा किया है कि पहले जिन लोगो को पहले पीएम आवास मिल गया है,उन्हें अब दोबार से पत्नियों के नाम से पीएम आवास स्वीकृत कर दिए गए है। यही नहीं गरीब आदिवासियों के लिए आए पीएम आवासो को सामान्य वर्ग के लोगो को भी बांट दिया गया। इस मामले की शिकायत के बाद जनपद सीईओ कराहल अभिषेक त्रिवेदी ने चार सदस्यीय समिति इस मामले की जांच के लिए गठित की गई।

सरपंच ने खुद तो सचिव ने भाभी को दिलवा दी पीएम आवास

पीएम जन मन आवास योजना में सिर्फ आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों को भी पीएम आवास दी जाती है। इसमें सामान्य वर्ग के लोगो को आवास दिए जाने का कोई नियम नहीं है। लेकिन इस नियम के बाद भी उर्मिला पत्नी हरिशंकर शर्मा को पीएम जन मन योजना के तहत पीएम आवास दे दिया गया है। बताया गया है कि उर्मिला पत्नी हरिशंकर शर्मा ग्राम पंचायत बर्धाखुर्द के प्रभारी सचिव गिर्राज शर्मा की भाभी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सचिव के भाई के पहले से मकान बना हुआ है। इसके बाद भी उसने नियम की गंभीर अनदेखी करते हुए अपनी भाभी को पीएम आवास दिलवा दी। उधर ग्राम पंचायत बर्धाखुर्द की महिला सरपंच सरोज बाई ने अपने नाम भी पीएम आवास स्वीकृत करवा ली है। जबकि पहले उनके पति विद्याराम आदिवासी के नाम से पीएम आवास मिल चुकी है।

घटिया तरीके से कराया रपटा निर्माण

ग्राम पंचायत बर्धाखुर्द के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव के द्वारा पीएम आवास योजना में ही फर्जीबाडा नहीं किया गया,बल्कि निर्माण कार्यो के दौरान भी गडबडझाला किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रपटों का निर्माण शासन के निर्धारित मापदंडो के विपरित किया गया है। जिसका पता इनकी जांच के दौरान लग सकता है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में अब तक कराए गए निर्माण कार्यो की जांच करवाए जाने की मांग की है।

जांच रिपोर्ट कंपलीट हो गई है। जल्द ही इस मामले में दोषियों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी।
अभिषेक त्रिवेदी, सीईओ, जनपद पंचायत कराहल

ये अपात्र हितग्राही, जिन्हें दोबारा दी गई पीएम आवास

जनपद पंचायत कराहल की जांच समिति इस मामले की जांच के लिए ग्राम पंचायत बर्धाखुर्द पहुंची और स्वीकृत पीएम आवास योजना के हितग्राहियों की सूची की जांच तो उसमें पता चला है कि 16 महिलाए हितग्राही ऐसी है,जिन्हें पहले पति के नाम से पीएम आवास दे दी गई है। अब पत्नी के नाम से दोबारा पीएम आवास स्वीकृत किए गए है। बताया गया है कि जांच के दौरान जो 16 अपात्र महिला हितग्राही सामने आई है,इनमें रामबती पत्नी मुकेश आदिवासी, रामकली पत्नी सोमत आदिवासी, बृजेश बाई पत्नी शिवराज आदिवासी, पुष्मा बाई पत्नी रामजीलाल आदिवासी, पपीता बाई पत्नी शिवराज आदिवासी, बदाम बाई पत्नी घनश्याम आदिवासी, राजंती बाई पत्नी रामनिवास आदिवासी, सरोज बाई पत्नी विद्याराम आदिवासी, घोडा बाई पत्नी प्रकाश आदिवासी, कपूरी बाई पत्नी वीर सिंह आदिवासी, द्रोपदी बाई पत्नी पप्पू आदिवासी, ाति बाई पत्नी धरमू आदिवासी, भारती बाई पत्नी दीन दयाल आदिवासी, लाली बाई पत्नी बलराम आदिवासी,सुनीता पत्नी सरदार आदिवासी, मालती बाई पत्नी पप्पू आदिवासी शामिल है।

नर्सरी से 35 लाख तक सालाना आय

केंद्र-राज्य सरकारें 50 फीसदी तक दे रहीं अनुदान

छिंदवाड़ा के किसान ने बनाए 4 पॉली हाउस 1 करोड़ से ज्यादा पौधे कर रहा सप्लाई

दयानंद चौरसिया
जागत गांव हमार, छिंदवाड़ा।

छिंदवाड़ा में सब्जियों की खेती करने वाला एक किसान इनके पौधों की नर्सरी से लाखों रुपए कमा रहा है। उनसे छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और बैतूल जिले के किसान पौधे ले जाते हैं। अगले सीजन के लिए भी ऑर्डर दे जाते हैं।

जागत गांव हमार अपने इस अंक में पाठकों को मिलवा रहा है-छिंदवाड़ा के सोनारी मोहगांव के रहने वाले संदीप रघुवंशी से। संदीप 12वीं पास हैं। उनके पास करीब 40 एकड़ जमीन है। दो एकड़ में 4 पॉली हाउस बनाए हैं। इसमें टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी, करेला, तरबूज, खरबूज, लौकी और बैंगन के बीज से पौधे तैयार करते हैं। एक साल में करीब एक करोड़ से ज्यादा पौधे तैयार कर किसानों को सप्लाई करते हैं। इसमें सभी खर्च हटाकर 35-40 लाख रुपए तक आय हो जाती है।

संदीप रघुवंशी से ही जानते हैं नर्सरी शुरू करने की कहानी

मैं करीब 20 साल से खेती-किसानी कर रहा हूं। सब्जियों के पौधे मैं रायपुर से मंगवाता था। इनमें से कुछ खराब हो जाते थे। महंगा भी पड़ता था। मैंने सोचा, क्यों न खुद का नर्सरी शुरू की जाए। फिर नर्सरी के बारे में इंटरनेट से जानकारी जुटाई। पता चला कि रायपुर के वीएनआर नर्सरी में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद मैं रायपुर गया। जहां एक लाख रुपए फीस देकर 10 दिन नर्सरी की ट्रेनिंग ली। फिर छिंदवाड़ा आकर 2019 में खुद के खर्च पर पॉली हाउस बनवाया। इसमें करीब 25 लाख रुपए खर्च आया। पहले साल करीब 10 लाख पौधे बेचे थे। फिर धीरे-धीरे किसानों को पता चलने लगा। डिमांड को देखते हुए मैं एक के बाद एक चार पॉली हाउस तैयार कर लिया हूं। एक पॉली हाउस पर उद्यानिकी विभाग की ओर से 50 फीसदी सब्सिडी मिली थी। सभी में बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं। अब मैं किसानों से एक महीने पहले ऑर्डर ले लेता हूं। फिर तय तारीख पर पौधे तैयार कर होम डिलीवरी करवा देता हूं। मेरे पास जो किसान आते हैं, उन्हें हेल्दी पौधे देते हैं। जिससे उनकी भी पैदवार बंपर होती है। एक पौधे 1 से लेकर 2.50 रुपए तक बेचते हैं।

ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो फोगर ऑन करना है, तो सेंसर लगे

मैं एक साल में एक करोड़ से ज्यादा पौधे सप्लाई कर रहा हूं। जिसमें सभी खर्चे हटाकर 35-40 लाख रुपए सालाना कमाई हो जाती है। इसके अलावा, सब्जियों की भी खेती करता हूं। इसमें सालाना करीब 30 से 35 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। कुल 70 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो जाता है। मेरे पास ऑटोमेशन का भी प्लांट है। जिससे मेरे खेत में भी इरिगेशन होता है और नर्सरी के लिए भी पानी लेता हूं। उसका एसी, पीएच और फर्टिगेशन मेरे हिसाब से ही सेट रहता है। मुझे कितने एसी का पानी चाहिए। कितना फर्टिगेशन चाहिए। ये सभी चीजें ऑटोमेशन करता है। ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो फोगर ऑन करना है, तो सेंसर लगे हैं। उस टेम्परेचर पर अगर पॉली हाउस जा रहा है, तो मशीन को कमांड मिलती है। वो फोगर ऑन कर देती है। काफी हद तक वो टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है।

बीज अंकुरित होने के बाद पॉली हाउस में बिछा देते हैं

कोकोपीट खाद को ट्रे में भर कर उसमें सीड डालते हैं। फिर इसे जर्मिनेशन रूम में बीज की टाइमिंग के अनुसार रख देते हैं। अंकुरित होने के बाद पॉली हाउस में लाकर बिछाते हैं। फिर रोजाना इसे देखना पड़ता है कि इरिगेशन कितना लग रहा है, कौन से खाद की जरूरत है, बीमारी तो नहीं है या कीड़ों का अटैक तो नहीं है। इसके लिए 25 से 30 लोग पॉली हाउस में काम करते हैं।

मिट्टी की जगह कोकोपीट में डालते हैं सीड्स- नारियल की छिलके से कोकोपीट की शीट तैयार होती है। मिट्टी की जगह कोकोपीट में सीड्स को इसलिए डालते हैं, क्योंकि मिट्टी में बीज डालने से बीमारी लगने की आशंका रहती है। कोकोपीट में गैप होने के कारण बीजों को पर्याप्त हवा मिलती है, जिससे बीज का अच्छा अंकुरण होता है। इस पद्धति में 90त्न से ज्यादा सीड्स का अंकुरण होता है।

क्या होता है कोकोपीट| कोकोपीट नारियल के छिलके से बनाई गई एक खाद होती है, जो पौधों के लिए लाभदायक होती है। इससे पौधों की जड़ों को विकसित होने के लिए जगह मिलती है। बैक्टीरिया और फंगस आदि नहीं लगते हैं। कोकोपीट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम और मिनरल्स होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं।

वन टाइम इन्वेस्टमेंट तकनीक है पॉली हाउस

पॉली हाउस को ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। पॉली हाउस चारों तरफ से घिरा रहता है। जहां पर किसी भी समय पर किसी भी फसल को उचित जलवायु और पोषक तत्व प्रदान करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट तकनीक है, जो सालों तक किसानों को कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। बारिश या आपदा के साथ मवेशियों से फसल को बचाती है। इसके लिए अब बागवानी मिशन में केंद्र और राज्य सरकारें भी 50 फीसदी या अधिक अनुदान किसानों को दे रही है।

मजदूरी की दरें 7 से लेकर 26 रुपए तक संशोधित की गई हैं, सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी गोवा और सबसे कम उप्र-उत्तराखंड में

मनरेगा-2005 की धारा 6 (1) के तहत नोटिफिकेशन किया गया जारी

मोदी सरकार ने दिया मजदूरों को तोहफा मनरेगा की मजदूरी में 3 से 10% की बढ़ोत्तरी

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार की ओर से देश के मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 को देखते हुए मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों को अब नई दरों के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। मनरेगा-2005 की धारा 6 (1) के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र नोटिफिकेशन द्वारा लाभार्थियों के लिए मजदूरी की दरों को तय कर सकता है। लिहाजा मजदूरी की दरें 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक संशोधित की गई हैं।

चुनाव आयोग से ली परमिशन

गौरतलब है कि देशभर में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया जा सकता है। लेकिन मनरेगा योजना का संचालन करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संशोधित दरों को जारी करने के लिए चुनाव आयोग से विशेष तौर पर अनुमति हासिल की थी। अनुमति के बाद ही ऐलान किया गया। मनरेगा मजदूरी की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाले बदलाव के आधार पर तय होती है। उसी को देखते हुए नई दर लागू की गई है।

बढ़ाई गई मनरेगा मजदूरी

मनरेगा मजदूरी की यह दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बढ़ाई गई है। बड़ी हुई दर के हिसाब से मजदूरी 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा गोवा के मनरेगा मजदूरों को होने वाला है क्योंकि यहां की मजदूरी दर 10.56 प्रतिशत बढ़ाई गई है। चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य में मनरेगा मजदूरी की दर कितनी बड़ी है। गोवा में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में मजदूरों में 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। चलिए सभी राज्यों की दर देख लेते हैं।

मप्र-छग में समान

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरों को एक समान मजदूरी दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई दर के बाद दोनों राज्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोनों राज्यों में समान रूप से 22 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब तक जहां मजदूरों को 221 रुपए मिलते थे तो अब उन्हें 243 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

दोनों राज्यों में 230 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है, लेकिन अब 3.04 प्रति. की वृद्धि के साथ यह 237 रुपए हो जाएगी। यह किसी भी राज्य में की गई सबसे कम वृद्धि है।

10 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि

जिन राज्यों में 10 फीसदी से ज्यादा वृद्धि की गई है उसमें हरियाणा सबसे ऊपर है, क्योंकि यहां पर मनरेगा मजदूर की उच्चतम दर 374 प्रतिदिन हो चुकी है। गोवा में 10.56 फीसदी वृद्धि के साथ मजदूरी में 356 रुपए प्रति दिन पहुंच गई है। कर्नाटक में 10.44 प्रतिशत वृद्धि के बाद मजदूरी 349 रुपए प्रतिदिन होगी। तेलंगाना के मजदूरों को 10.29प्रतिशत वृद्धि के साथ 300 रुपए मिलेंगे।

आज से नई दरें लागू

» केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले वित्त वर्ष 2023-25 के लिए मजदूरी की दर में ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी। केंद्र सरकारी के नोटिफिकेशन के अनुसार उप्र और उत्तराखंड में सबसे कम 3 फीसदी का इजाफा किया गया है, जबकि गोवा में सबसे ज्यादा 10.6 फीसदी मजदूरी बढ़ाई गई है। गोवा में जहां मजदूरी की दर में 34 रुपए प्रति दिन की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं उप्र और उत्तराखंड में 7 रुपए प्रति दिन मजदूरी बढ़ाई गई है।

» साल 2005 में हुई थी शुरुआत

मनरेगा प्रोग्राम की शुरुआत साल 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। ये रोजगार गारंटी योजना हैं और इसके तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय करती है, जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम पर रखा जाता है।

शोध रिपोर्ट: पर्यावरण परिवर्तन से घट रही पौष्टिकता

दुनिया के 43 अनाज-फल और सब्जियां खो चुकी पोषण मात्रा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

दुनिया के 43 अनाज-फल और सब्जियां अपनी पोषण मात्रा खो रही हैं। उनमें पोषक तत्वों की लगातार कमी हो रही है। इनमें से ज्यादातर सब्जियां हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हुई शोध के मुताबिक, बीन्स में कैल्शियम की मात्रा आधी रह गई है। 20वीं सदी की शुरुआत में यह जहां 65 मिलीग्राम होती थी, अब यह सिर्फ 37 मिलीग्राम रह गई है। ब्रोकली में आयरन की मात्रा घट गई है। शतावरी में विटामिन ए की मात्रा लगभग आधी बची है। चावल में प्रोटीन, जिंक और आयरन कंटेंट कम हुआ है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि पर्यावरण परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है। वातावरण में जैसे-जैसे कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में इस वक्त लोगों में विटामिन ए, आयरन और से कार्बन जिंक की ही सबसे ज्यादा कमी हो रही है। खाद्य पदार्थों में भी ये ही पोषक तत्व सबसे ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) के कार्यक्रम प्रमुख प्रतीक उनियाल कहते हैं- ज्यादा बारिश, ठंड और दूसरे नुकसान की वजह से कई खाने-पीने की चीजों में आयरन और जिंक की मात्रा 30 से 40 प्रतिशत कम हो गई है।

बायोफॉर्टिफिकेशन से पोषक तत्व

खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए मॉडीफाइड क्रॉप, पोषक तत्वों से भरपूर खाद, मिट्टी में कमी वाले खनिजों को मिलाना, जैसी कई अलग- अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा खास तकनीक है बायोफॉर्टिफिकेशन- इस तकनीक में वैज्ञानिक बीजों में ही पोषक तत्व डाल देते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसा नमक में आयोडीन मिलाया जाता है।

अनाज और सब्जियों में कई पोषक तत्व कम हो रहे

ऐसा नहीं है कि अनाज-सब्जियों में सिर्फ एक या दो पोषक तत्वों की कमी हो रही है। कम या ज्यादा मात्रा में लगभग सभी पोषक तत्व घट रहे हैं। तकनीक से हम किसी एक या दो पोषक तत्वों की ही भरपाई कर पाते हैं।

मध्य प्रदेश में खरीफ फसल ऋण की देय तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाई : भोपाल। राज्य शासन मध्यप्रदेश द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2023 सीजन में किसानों को वितरित अल्प कालीन फसल ऋण की देय तिथि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के उप सचिव द्वारा जारी पत्र में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं ,मप्र ,भोपाल को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2023 सीजन में किसानों को वितरित अल्प कालीन फसल ऋण की देय तिथि पूर्व में 28 मार्च 2024 निर्धारित की गई थी , जिसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2024 कर दिया गया है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)